

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—ई-33/नियु0/रेडियो/एम-73/2012/

दिनांक:—

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निदेशालय के क्रमांक:—ई-33/नियु0/रेडियो/एम-73/2011/356 दिनांक 1.6.11 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वरियता के आधार पर निदेशालय के क्रमांक ई-33/नियु/रेडियो/एम-73/2011/62 दिनांक 30.1.2012 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 7900/- पर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है । दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200-20200 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

क्र० सं०	आवेदक का नाम /पिता,पति का नाम	गृहजिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री/पुरुष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
<b>अनारक्षित वर्ग</b>						
1	सुरेन्द्र निठारवाल /अमर सिंह	सीकर	25/7/86	OBC	M	सीएचसी बासनी, नागौर
2	तरुण फानन /बी एल फानन	अजमेर	23/7/88	SC	M	सीएचसी भीम, राजसमन्द
3	अरविन्द कुमार/नारायण सिंह	झुन्झुनू	21/11/85	OBC	M	सीएचसी बोरावड नागौर
4	भूप सिंह /रामस्वरूप	हनुमानगढ	5/7/84	OBC	M	सीएचसी नोहर, हनुमानगढ
5	सीता खरवास /रतन सिंह खरवास	सीकर	1/1/88	OBC	F	पीएमओ चूरु
6	मनोज सहारण /गिरधारीलाल सहारण	गंगानगर	1/4/91	OBC	M	सीएचसी चुनावढ, श्रीगंगानगर
7	दीपक कुमार गुप्ता /कैलाशचन्द गुप्ता	दौसा	5/7/89	GEN	M	एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर
8	राकेश कुमार शर्मा /हजारीलाल शर्मा	अलवर	1/9/83	GEN	M	पीएमओ अलवर
9	अशोक कुमार सैनी /सज्जनसिंह सैनी	चूरु	5/7/86	OBC	M	सीएचसी राजलदेसर, चूरु
10	वकी अहमद /मुली अहमद	करौली	27/12/85	GEN	M	एमबीएस चिकित्सालय कोटा
11	नवीन कुमार मिश्रा /जगदीश चन्द	दौसा	23/8/89	GEN	M	पीएमओ बालोतरा, बाडमेर



क्र० सं०	आवेदक का नाम / पिता,पति का नाम	गृहजिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरुष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
12	आरिफ मोहम्मद / महबूब अली	सीकर	14/8/92	OBC	M	सीएचसी देशनोक, बीकानेर
13	बेअन्त सिंह / कलवन्त सिंह	हनुमानगढ	15/9/86	OBC	M	सीएचसी घडसाना, श्रीगंगानगर
14	मोहम्मद शादाब / मोहम्मद शाकीर	जोधपुर	17/11/84	GEN	M	पीएमओ जैसलमेर
15	आशीष कुमार दाधीच / सुभाषचन्द्र	कोटा	7/12/89	GEN	M	एमबीएस चिकित्सालय कोटा
16	चन्द्रप्रकाश शर्मा / गोपाललाल शर्मा	टोंक	1/8/89	GEN	M	सीएचसी सुवाडा, भीलवाडा
17	अरविन्द सिंह राठौड / दलपतसिंह	पाली	2/1/77	GEN	M	सीएचसी बगडीनगर, पाली
18	मनीष गौतम / अशोक गौतम	बारां	9/11/88	GEN	M	सीएचसी मनोहरथाना, झालावाड
19	शैलेन्द्र सिंह / प्रेम सिंह	अजमेर	15/2/85	GEN	M	पीएमओ राजसमन्द
20	जीतराम नागर / बजरंगलाल नागर	कोटा	25/8/88	OBC	M	सीएचसी छोटीसरवण, बांसवाडा
21	खोमचन्द कलवार / बंशीलाल	कोटा	20/10/87	OBC	M	सीएचसी सकडा, जैसलमेर
22	पुष्पेन्द्र गौतम / रमेशचन्द्र	उदयपुर	1/1/82	GEN	M	सीएचसी बडगांव, उदयपुर
23	राकेश कुमार डण्डेलिया / गोविन्दप्रसाद	जयपुर	16/8/90	GEN	M	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर
24	शरद कुमार यादव / महेन्द्रकुमार	अलवर	10/5/91	OBC	M	सीएचसी टपूकडा, अलवर
25	रचना मण्डल / जगदीश नारायण	जयपुर	10/3/88	GEN	F	वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय जयपुर
26	दुर्गा चौधरी / किशन सिंह	जोधपुर	5/1/90	OBC	F	सीएचसी सूरसागर, जोधपुर
27	उर्मिला / रामदीन	जोधपुर	24/10/89	OBC	F	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर
28	दीपमाला / गोविन्दराम छीपा	अजमेर	20/7/88	OBC	F	संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर
29	उषा मरेठा / रमेश कुमार	जोधपुर	3/9/89	SC	F	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर
30	निशा जोशी / गोपाल जोशी	अजमेर	17/10/85	GEN	F	संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर

क्र० सं०	आवेदक का नाम / पिता,पति का नाम	गृहजिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरुष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
31	सीमा परवीन / मोहम्मद रफीक	बारां	2/7/88	OBC	F	सीएचसी अंता, बारां
<b>अन्य पिछडा वर्ग</b>						
1	इन्द्रपाल सिंह / पूरन सिंह	भरतपुर	10/8/88	OBC	M	सीएचसी नाचना, जैसलमेर
2	वेदप्रकाश यादव / बच्चूसिंह यादव	अलवर	11/9/87	OBC	M	पीएमओ चित्तौडगढ
3	दीपक कुमार मेहरात / अमीन मेहरात	कोटा	13/1/87	OBC	M	सीएचसी सम, जैसलमेर
4	भीकाराम कुमावत / गोमाराम कुमावत	अजमेर	10/11/85	OBC	M	पीएमओ नाथद्वारा, राजसमन्द
5	राकेशकुमार कुमावत / छिगनलाल कुमावत	नागौर	10/9/87	OBC	M	सीएचसी धोरीमन्ना बाडमेर
6	धनपाल पाटीदार / धनेश्वर पाटीदार	डूंगरपुर	16/8/90	OBC	M	पीएमओ डूंगरपुर
7	तेजाराम सैनी / सुवालाल सैनी	जयपुर	26/1/86	OBC	M	सीएचसी आहोर जालौर
8	विरेन्द्रसिंह सांखला / हनुमानराम	जोधपुर	12/11/91	OBC	M	सीएचसी मथानिया जोधपुर
9	दिनेश कुमार वैष्णव / प्रभूलाल वैरागी	टोंक	20/1/85	OBC	M	सीएचसी गनोडा, बांसवाडा
10	राजेश यादव / हरिसिंह यादव	अलवर	3/9/84	OBC	M	पीएमओ चित्तौडगढ
11	द्वारका प्रसाद / गोपाललाल	जयपुर	1/1/88	OBC	M	सीएचसी शिव, बाडमेर
12	चेतन सुवालका / दुर्गालाल सुवालका	बून्दी	15/1/89	OBC	M	सीएचसी इन्द्रगढ, बून्दी
<b>अनुसूचित जाति</b>						
1	कौशल किशोर / जयकिशन वर्मा	कोटा	30/7/89	SC	M	सीएचसी तलवाडा, बांसवाडा
2	विनोद कुमार गहन / नाथूलाल गहन	झुन्झुनूं	16/5/87	SC	M	पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर
3	रमेश तंवर / देशराज	झुन्झुनूं	5/10/88	SC	M	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर
4	योगेन्द्र सांवल / राजेन्द्र प्रसाद	सीकर	3/12/88	SC	M	पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर
5	राजवीर सिंह / वीरी सिंह	भरतपुर	8/7/88	SC	M	सीएचसी घाटोल, बांसवाडा

*(Handwritten signature)*

क्र० सं०	आवेदक का नाम / पिता,पति का नाम	गृहजिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरुष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
6	राकेश मौर्य / दीपचन्द मौर्य	जयपुर	5/5/85	SC	M	पीएचसी निम्बीजोधा नागौर
7	जगराम बैरवा / रामजीलाल बैरवा	करौली	8/6/86	SC	M	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर
8	विमलेश कुमार / रामेश्वरलाल	सीकर	18/8/74	SC	M	सीएचसी मुकुन्दगढ झुन्झुनू
9	दिवेश कुमार महावर / मूलचन्द महावर	सवाई माधोपुर	23/8/87	SC	M	सीएचसी खण्डार, सवाई माधोपुर
10	प्रदीप कुमार बोराणा / मोहनलाल बोराणा	जोधपुर	19/11/84	SC	M	सैटेलाईट चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
<b>अनुसूचित जनजाति</b>						
1	अतुलकुमार मीणा / दुर्गालाल	टोंक	27/7/90	ST	M	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर
2	विजयसिंह मीणा / श्रीराम मीणा	जयपुर	3/11/85	ST	M	राजकीय गणगौरी चिकित्सालय जयपुर
3	राजकमल वर्मा / राजेन्द्र कुमार वर्मा	जयपुर	13/8/85	ST	M	सीएचसी जसवंतपुर, जालौर
4	खेमराज मीणा / पृथ्वीराज मीणा	करौली	3/7/87	ST	M	सीएचसी कुशलगढ, बांसवाडा
<b>अनुसूचित जनजाति टीएसपी</b>						
1	प्रहलाद भगोरा / ज्योतिष भगोरा	डूंगरपुर	9/7/85	ST	M	पीएमओ डूंगरपुर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से दें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी की सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता की जांच अपने स्तर पर भी करते हुए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रति से मिलान करें। इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमितता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में



कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाए।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-33/नियु०/रेडियो/एम-73/2012/117

दिनांक:- 2-3-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज० जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/कार्मिक विभाग, राज० जयपुर।
- 3- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर।
- 4- निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/आरसीएच मुख्यालय।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 6- संयुक्त निदेशक, योजना, मुख्यालय।
- 7- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
- 8- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
- 9- समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, राजस्थान को भेजकर लेख है कि पदस्थापित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय को अवगत करवाया जावे। जहाँ पदस्थापन किया गया है वहाँ एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं होने/खराब होने की स्थिति में कार्यग्रहण करवाने के पश्चात संबंधित सहायक रेडियोग्राफर को अस्थायी रूप से जिले में ऐसे स्थान पर कार्यव्यवस्था के तहत कार्य सम्पादन हेतु लगाया जावे जहाँ एक्सरे मशीन उपलब्ध हो एवं रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर का पद रिक्त हो या अत्यधिक कार्यभार हो। आपके अधीन पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन कार्यालय से प्राप्त करें। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लें। यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी

अविलम्ब निदेशालय को भेजे। इस प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

नोट:- जहाँ पदस्थापन किया गया है वहाँ सहायक रेडियोग्राफर का पद स्वीकृत एवं भरा हुआ है, लेकिन रेडियोग्राफर का पद रिक्त है। वहाँ नव पदस्थापित सहायक रेडियोग्राफर को कार्यग्रहण करवाया जावे एवं पूर्व में नियुक्त एवं कार्यरत वरिष्ठतम सहायक रेडियोग्राफर का वेतन रेडियोग्राफर के पदविरुद्ध उठाया जावे।

10- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सहायक रेडियोग्राफर पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन का समाचार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।

11- प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

12-श्री/श्रीमती/सुश्री..... को पालनार्थ।

13-आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर